संक्षिप्त

शिक्षिका ने फंदा लगाकर दी जान

फुलेरा। फुलेरा क्षेत्र के गोरधनपुरा स्थित राजकीय विद्यालय में कार्यरत थर्ड ठोड शिक्षिका अनिता कुमारी (26) ने सोमवार तड़के फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है। मृतका फुलेरा-बालाजी रोड स्थित परमहंस नगर में किराए पर रहती थी, सुबह काफी समय तक घर से कोई हलचल नहीं होने पर पड़ोसियों को संदेह हुआ, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दरवाजा खुलवाया, जहां शिक्षिका का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने मृतका को नीचे उतारकर फुलेरा उपजिला अस्पताल स्थित अस्थायी मोर्चरी में रखवाया। गौरतलब है कि मृतका मूलतः गांव खोरी डीग (भरतपुर) की रहने वाली थीं। मृतका के पिता कन्हैयालाल ने बताया कि करीब दो वर्ष से फुलेरा में पदस्थापित थीं और हाल ही में उनका प्रोबेशन पूरा हुआ था, जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल था। परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मृतका के पिता की ओर से थाने पर दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चोरी की वारदात का खुलासा

फुलेरा। फुलेरा थाना पुलिस ने चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपीयों को मात्र 20 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी हुई बकरी भी बरामद की है। फुलेरा थानाधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के शयोराणो का बास तन मुंडवाडा में हुई बकरी चोरी का मामला दर्ज हुआ, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर जितेंद्र उर्फ जितू वाल्मीकि (23) निवासी गुमानपुरा, पुलिस थाना फुलेरा तथा प्रकाशलाल वर्मा वाल्मीकि (30) निवासी शयोराणो का बास, तन मुंडवाडा फुलेरा को गिरफ्तार किया गया तथा चोरी हुई बकरी व घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली गई।

बिजली पोल दे रहा हादसे को निमंत्रण

चाकसू। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 राधा स्वामी सत्संग व्यास एवं मंगलम गार्डन कॉलोनी में पिछले कई समय से बिजली पोल क्षतिग्रस्त होकर हादसे को निमंत्रण दे रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सैनी ने बताया कि उपरोक्त जगह पर बिजली विभाग द्वारा बिजली का पोल लगाया गया है जो लंबे समय से क्षतिग्रस्त हो रखा है। पल में लगे हुए लोहे के सरिया दूर से ही नजर आने लगे हैं जो कभी भी बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकते हैं उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त बिजली पोल को ठीक करने के लिए डिस्कॉम के अधिकारियों व कर्मचारियों को सूचित करने के बाद भी अभी तक इस तरफ कोई कार्रवाई नहीं गई। जिसके कारण कॉलोनी में बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ दिनों दिन रोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से मांग की है कि जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त बिजली को बदलकर नया पोल लगाने की मांग की।

सिरस क्षेत्र में पेयजल संकट

सिरस। श्योसिंहपुरा सहित कई गांवों में पिछले 5 दिनों से बीसलपुर पेयजल आपूर्ति बंद रहने से लोगों को पेयजल पेयजल संकट बना हुआ है। जीएसएस के पूर्व अध्यक्ष श्यामलाल योग, रामेश्वरनाथ, बाबूलाल नाथ व बजरंगलाल प्रजापत सहित कई लोगों ने बताया कि श्योसिंहपुरा, भेरूगंज ,वजीराबाद व खलीलाबाद सहित कई गांवों की पेयजल आपूर्ति पिछले 5 दिनों से बंद है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की शिकायत के लिए बीसलपुर परियोजना के क्षेत्रीय अधिकारी को फोन किया लेकिन उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। जिससे पेयजल समस्या बनी हुई है। पानी की सप्लाई बंद होने से पीने के पानी के लिए महिलाओं को गांव से आधा किमी दूर कुओं से पीने का पानी लाना पड रहा है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खाद की किल्लत से आक्रोशित किसानों ने जाम लगाया

निवाई। यूरिया खाद की किल्लत से अब किसानों का सब्र टूटता जा रहा है। सोमवार की सुबह यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने आक्रोशित होकर शहर के सबसे व्यस्त झिलाय रोड पर जाम लगा दिया।

किसानों को सूचना मिली थी कि राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में स्थित कृषि कार्यालय में टोकन वितरण किए जाएंगे। सूचना के चलते किसान सुबह करीब 6:30 बजे ही कृषि कार्यालय के बाहर कतार लगाकर खडे हो गए। सुबह 11:30 बजे तक भी कार्यालय नहीं खुलने पर किसान आक्रोशित हो

- खाद बीज व्यापारियों पर कालाबाजारी करने का आरोप लगाया
- पुलिस की मौजूदगी में बंटवाया खाद

गए और झिलाय रोड पर जाम लगा दिया।सूचना पर निवाई थानाधिकारी घासीराम मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे और किसानों व कृषि अधिकारियों से बातचीत की। किसानों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें खाद के टोकन के लिए कृषि उपज मंडी परिसर भेजा गया। जहां सहायक कृषि अधिकारी द्वारा किसानों को 570 खाद के टोकन वितरण किए गए। कृषि अधिकारी ने बताया कि शहर में हनुमान बीज भंडार पर ही यूरिया खाद की गाडी आई हुई है। प्रत्येक किसान को एक आधार कार्ड पर दो युरिया बैग दिए जा रहे हैं। इस दौरान अन्य किसानों को टोकन नहीं मिलने पर उन्होंने रोष जाहिर किया और खाद बीज व्यापारियों पर कालाबाजारी करने का आरोप लगाया। टोकन लेकर किसान हनुमान बीज भंडार पर पहुंचे। किसानों की भीड के चलते ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। जिसे पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर संभाला। टोंक कृषि सहायक निदेशक डॉ. रामनिवास जाट ने बताया कि निवाई शहर के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में जामडोली व वनस्थली में भी यूरिया खाद का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि शहर में सोमवार की शाम तक अगर गाडी आती है तो मंगलवार की सुबह फिर से खाद वितरण किया जाएगा।

निवाई में खाद की किल्लत से आक्रोशित किसानों ने झिलाय रोड पर जाम लगाया।

कच्चे घर में लगी आग

पावटा। विराटनगर थाना क्षेत्र के ग्राम मेड के भोजेरा रोड पर अचानक एक किसान की झोपड़ी में आग लग गई। जिससे नगदी, आभूषण सहित लाखों का माल जलकर राख हो गया। अज्ञात कारणों से लगी इस आग में झोपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग लगने से झोपड़ी में रखे नगदी, आभूषण, अनाज सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज और कपड़ों सहित लाखों रुपयों का माल जलकर राख हो गया। किसान व उसका परिवार शाम के समय अपने खेतों में काम कर रहा था। अचानक उसे अपने कच्चे घर से धुआं तथा आग की लपटें नजर आई।

कच्चे घर से धुआं तथा आग की लपटें नजर आने पर जोर-जोर से शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने दौड़कर आये और आग बुझाने का प्रयास किया। लेकिन तब तक आग ने प्रचंड रूप ले लिया और कुछ देर में ही घर जल गया। मौके पर मौजूद गौरक्षक सोनू यादव ने बताया कि गोविंद राम मेहरा अपने परिवार के साथ भोजेरा रोड पर अपने परिवार के साथ खेती करके अपना गुजारा करता था। 23 जनवरी को बेटी की शादी थी शादी का सामान झोपड़ी में रखा था जो भी आग लगने से शादी का पूरा सामान जल कर राख हो गया। जिसमें 20 बोरी गेहूं,12 बोरी बाजरा, डेढ़ लाख रुपए नगद एवं घरेलू सामान सहित बेटी की शादी के लिए लाया हुआ कपड़े गहने एवं अन्य सामान जल गया।

सेवर थाने से भागा छेड़छाड़ व लूट का आरोपी

भरतपुर, (निसं)। भरतपुर के सेवर थाने से पुलिस को चकमा देकर एक आरोपी फरार हो गया। आरोपी को जयपुर पुलिस लूट के सामान की रिकवरी के लिए गंगापुर सिटी लेकर जा रही थी। रात ज्यादा होने के कारण जयपुर पुलिस ने सेवर थाने में स्टे किया था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

सेवर थाना अधिकारी सतीश चंद शर्मा ने थाने से गिरफ्तार शुदा मुजरिम राम अवतार बैरवा फरार हो गया। आरोपी गंगापुर सिटी के पास का रहने वाला था। उसके साथ एक महिला आरोपी भी गिरफ्तार थी। जयपुर के प्रताप नगर थाने का जाब्ता आरोपी को लेकर रिकवरी के लिए यहां लाया था। रात ज्यादा होने के कारण प्रताप नगर पुलिस ने सेवर थाने पर स्टे किया था। आरोपी सेल में बंद था। देर रात 1 बजकर 50 मिनट पर आरोपी संतरी को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी को पकड़ने की तलाश की जा रही है। आरोपी को प्रताप नगर पुलिस ने महिला से छेड़छाड़, नशीली चीज सुंघाकर लूट के मामले गिरफ्तार किया था। प्रताप नगर पुलिस लूटे हुए सामान

- आरोपी ने गंगापुर सिटी में महिला के पैर काटकर लूटे थे कड़े
- जयपुर पुलिस रिकवरी के लिए लेकर आई थी

की रिकवरी के लिए उसे गंगापुर सिटी लेकर जा रही थी। ज्यादा रात होने के कारण प्रताप नगर पुलिस ने सेवर थाने पर स्टे किया था। आरोपी टॉयलेट जाने का बहाना देकर संतरी को चकमा देकर फरार हो गया है। इसी आरोपी ने 2 महीने पहले गंगापुर सिटी में एक महिला के पैर काटकर चांदी के कड़े लूटे थे। इस मामले में आरोपी गंगापुर सिटी जेल में बंद था। कल प्रताप नगर थाना पुलिस ने आरोपी को प्रोडक्शन वारंट आरोपी को गिरफ्तार किया। जिसके बाद जयपुर ले जाकर आरोपी से पूछताछ की पूछताछ के बाद आरोपी को रिकवरी के लिए वापस गंगापुर सिटी लेकर जाया जा रहा था।

अनशन व धरना समाप्त

पावटा। पंचायत पुनर्गठन आदेश में विराटनगर ब्लॉक के राजस्व गांव बहादुरपुरा को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया है। गांव बहादुरपुरा को ग्राम पंचायत एवं मुख्यालय यथावत रखने को लेकर ग्राम बहादुरपुरा के ग्रामीण ही नहीं महिलाएं भी एकजुट होकर इसे अन्यत्र कहीं स्थानांतरित करने का पुरज़ोर विरोध कर रहे थे। वहीं महिपाल सिंह व डॉ.दिनेश सिंह चिकित्सा जांच के बाद अनशन पर बैठे हुए थे व ग्रामीण, महिलाए धरने पर बैठे हुए थे। जिस पर विराटनगर विधानसभा क्षेत्रीय विधायक कुलदीप धनकड द्वारा गांव बहादुरपुरा को ग्राम पंचायत एवं मुख्यालय यथावत रखने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों द्वारा आमरण अनशन व धरना समाप्त किया।

आमरण अनशन पर बैठे हुए महिपाल सिंह व डॉ.दिनेश सिंह का नरसिंह धाम मंदिर महंत लक्ष्मण दास महाराज, वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर उमेश निठारवाल, भाबरू थाना प्रभारी रामकिशोर, नायब तहसीलदार ओमप्रकाश, जयसिंहपुरा पंचायत प्रशासक सोनी देवी द्वारा समझाइश करवाते हुए आमरण अनशन तुडवाया

अनशन समाप्त करवाते अधिकारी।

गया। गौरतलब है कि ग्राम बहादुरपुरा के ग्रामीणों की मांग थी कि द्वारा ग्राम पंचायत बहादुरपुरा के नाम के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाए। ग्रामीणों ने इस पर कड़ी नाराज़गी व्यक्त करते हुए ग्राम पंचायत बहादुरपुरा मुख्यालय अन्यत्र कही स्थानांतरित करने की जगह दूसरी अन्य ठाम पंचायत की मांग की थी । ग्राम पंचायत बहादुरपुरा मुख्यालय अन्यत्र कही ले जाने का प्रयास किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि आने वाले समय में इस दिशा में कोई कदम उठाया गया तो उसका कड़ा प्रतिरोध किया जाएगा। वही महिलाओं ने कहा कि इस संघर्ष में वो भी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आमरण अनशन व धरने के इस दौरान महिपाल सिंह, दिनेश सिंह, घीसा सिंह शेखावत, सतनारायण सिंह, महिपाल सिंह शेखावत, राजपाल सिंह शेखावत, दरियाव सिंह, मोहन सिंह, कानाराम यादव, पलाराम यादव, चित्रमल गुरुजी, प्रकाश सिंह शेखावत, अमर सिंह, मनोज शर्मा, लतीफ खान, एडवोकेट गोपाल टॉक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

रूपये दोगुना करने का लालच देकर ठगी करने वाला गिरफ्तार

अलवर। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी सरजीत सिंह ने पुलिस थाना साईबर जिला अलवर में उपस्थित होकर प्रकरण पंजीबद्ध कराया कि आरोपी द्वारा पार्शव नाथ शेयर मार्केट का ब्रोकर बनकर मार्केटिंग मे रुपये लगाकर रुपया दोगुना करने का लालच देकर परिवादी से अलग अलग बैंक खातो में 47,93,000 रुपये ट्रान्सफर कराकर परिवादी के साथ धोखाधडी की गई है।

पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। जिस पर कांबले शरण गोपीनाथ (आई.पी.एस.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जिला अलवर व डॉ0 प्रियंका अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठामीण जिला अलवर व अंगद शर्मा वृताधिकारी वृत उत्तर, जिला अलवर के निकटतम सुपरविजन में राजकुमार मीना पुलिस निरीक्षक साईबर थाना जिला अलवर, मय टीम द्वारा प्रकरण में धोखाधडी मे प्रयुक्त बैंक खातों का धारक प्रभात शर्मा उर्फ शिवम पुत्र भगत सिंह शर्मा निवासी एच 31, गली नम्बर 15, जगतपुरी थाना जगतपुरी (दिल्ली) हाल निवासी ब्लाक नम्बर 14, गीता कॉलोनी, पुलिस थाना गीता कॉलोनी (दिल्ली) के दो अलग अलग बैंक खातो मे धोखाधडी की राशि 2,60,हजार रुपये प्राप्त होना पाया गया प्रकरण में कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

प्रकरण में मास्टर माईन्ड अन्य आरोपियों द्वारा अलग अलग नाम से शेयर मार्केटिंग कम्पनी के नाम से अलग अलग ऑफिस बनाकर लोगों से सम्पर्क कर उन्हे शेयर मार्केटिंग कम्पनी मे रुपये निवेश करने के नाम पर रुपये इनवेस्ट कर दोगुने रुपये करने का लालच देकर अलग अलग लोगों के नाम से खुलवाये बैंक खातों में रुपये ट्रान्सफर करवा लेते है और ग्राहको को शुरु में कुछ प्रोफिट देकर उन्हें और अधिक रुपये लगाकर प्रोफिट देने का लालच देते है व ग्राहकों से अधिक से अधिक रुपये प्राप्त कर ग्राहक से सम्पर्क करना बन्द कर देते है। ग्राहकों की मूल राशि व प्रोफिट राशि नही लौटाकर लोगों के साथ धोखाधडी करते है।

सरकार हर क्षेत्र में विकास के लिए कटिबद्ध : वर्मा

निवाई। ग्राम पंचायत खंडवा व पहाडी में मुख्य अतिथि विधायक रामसहाय वर्मा, अध्यक्षता कर रहे पंचायत समिति प्रधान रामअवतार लांगडी व प्रशासक देवनारायण गुर्जर ने करीब 1 करोड रुपए की लागत के विकास कार्यो का लोकार्पण किया। मुख्य अतिथि विधायक रामसहाय वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार हर क्षेत्र में विकास के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में करोडों रुपए की लागत से विकास कार्य हो रहे हैं। जिनका लोगों को लाभ मिलेगा। अध्यक्षता कर रहे पंचायत समिति प्रधान रामअवतार लांगडी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर क्षेत्र में विकास हो। जिससे लोगों को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि सबका साथ सबका विकास। हर हाथ को रोजगार एवं हर

- 1 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण

खेत को पानी मिले। बाबूलाल मंडालिया ने बताया कि खंडवा, पहाडी व हमीदपुरा में करीब 1 करोड रुपए की लागत के विकास कार्यो का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर नटवाडा मंडल अध्यक्ष बद्री विजय, शहर अध्यक्ष नितिन छाबडा, डांगरथल मंडल अध्यक्ष केदार जाट, पूर्व प्रधान ममता जाट, डीआर मंजू बलाई, रामदेव गुर्जर, सुखदेव गुर्जर, रामू गुर्जर, रामप्रसाद पटेल व अंकित जाट सहित कई जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद थे।

परिवार की प्रेरणा से अजय किरण ने बिना दहेज रचाई शादी

निवाई। दहेज रहित विवाह को बढावा देने वाला एक अनुकरणीय उदाहरण वनस्थली के गांव हरिपुरा में देखने को मिला। जौधपुरिया रोड पर हरिपुरा निवासी अजय यादव ने किरण यादव के साथ सादगी और संस्कार से भरी, परंपरागत रीति-रिवाजों से सम्पन्न बिना दहेज की शादी रचाई।

इस प्रेरक निर्णय के पीछे दूल्हे परिवार के सदस्यों दादा जगदीश यादव, दादी कपुरी देवी, पिता मुकेश यादव, माता इन्द्रा यादव, राजेश यादव व बाबु यादव का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

- वनस्थली में मिसाल बनी अनोखी शादी, शहर के गणमान्य लोग बने साक्षी

जिन्होंने अजय को दहेज नहीं लेने और सामाजिक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। परिवार की इस सोच का सम्मान करते हुए विवाह में दुल्हन पक्ष से केवल शकुन का एक रुपया और एक नारियल ही लिया। दुल्हन के पिता हनुमान यादव व माता मनभर

बिना दहेज शादी में स्टेज पर मौजूद दुल्हा-दुल्हन व परिजन।

देवी ने आभार जताते हुए कहा कि आज के समय मे यह बेहतरीन निर्णय से शादी वनस्थली में अत्यंत धूमधाम से आयोजित हुई, जहाँ शहर के जाने-माने नागरिक, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, रिश्तेदार और मित्र समारोह में शामिल हुए। समारोह में सभी ने इस दहेज रहित पहल की भरपूर सराहना की और युवाओं के लिए एक प्रेरक संदेश बताया। दूल्हा अभी अग्निशमन विभाग में कांस्टेबल के पद पर है वही -दुल्हन वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, ऐसे में परिवारों ने दिखावे और दहेज की प्रथा को त्यागकर शिक्षा और सादगी को प्राथमिकता दी। वनस्थली में आयोजित यह विवाह अब समाज में एक प्रेरणा बन गया है कि संस्कार से बडा कोई दहेज नहीं होता।

सरिस्का की 37 वन चौकियों का होगा जीर्णोद्धार

अलवर। सरिस्का बाघ परियोजना में स्थित 37 पुरानी और जर्जर वन चौकियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। प्रत्येक चौकी पर 10 लाख रुपये की लागत से मरम्मत और विकास कार्य किए जाएंगे।

इस पहल का उद्देश्य वन कर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे वे जंगल की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कर सके। जंगल के भीतर स्थित ये चौकियां लंबे समय से सुविधाओं के अभाव में जर्जर हालत में थीं। अब इन सभी चौकियों में मूलभूत सुविधाएं जैसे आवास, पानी, बिजली और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि जंगल की सुरक्षा के लिए वन रक्षकों का चौकियों पर रहना अत्यंत आवश्यक है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट घोषणा में इन चौकियों के जीर्णोद्धार के लिए विशेष राशि स्वीकृत की है। डीएफओ सहारण के अनुसार, सभी 37 चौकियों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और कुछ के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। उनका मानना है कि बेहतर सुविधाएं मिलने से वनकर्मी चौकियों पर नियमित रूप से रहेंगे और सुरक्षा कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से अंजाम दे पाएंगे।

नाम परिवर्तन

मैंने अपने पासपोर्ट में अपना नाम संजना अनमोल चावला से बदलकर संजना चावला कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। संजना चावला पत्नी श्री अनमोल चावला निवासी ए-131 राम गली नंबर-4 राजापार्क, जवाहर नगर जयपुर-302004

मैं, यतेन्दर सिंह शेखावत, सुपुत्र श्री बलवीर सिंह शेखावत, निवासी एस डी-60 शांतिनगर, एन.बी.सी. के सामने खतीपुरा रोड जयपुर ने अपना नाम बदलकर अब यतेन्दर शेखावत कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना और पहचाना जाए।

यह सूचित किया जाता है कि मैं, सविता टेलर, पुत्री त्रिलोक चन्द टेलर, निवासी बनस्थली विद्यापीठ हरिपुरा ने अपना नाम बदलकर सविता रोहिला कर लि है। अब से मुझे सविता रोहिला नाम से जाना और पहचाना जाएगा।

मैंने अपनी पुत्री का नाम प्रिषा से बदलकर प्रिषा टंडन पुत्री विनीत टंडन रख लिया है। भविष्य में इसे इसी नाम से जाना पहचाना जाए। निवासी बी-75, मॉडल टाउन जगतपुरा, जयपुर

मैंने मेरा नाम श्रेय कंवर (Shreya Kanwar) पत्नी स्व. श्री सगन सिंह पता लुहाकना खुर्द, तहसील विराट नगर, जिला कोटपुतली बहरोड से गजट नोटिफिकेशन के द्वारा परिवर्तन कर सारी कुमारी पत्नी स्व. श्री सगन सिंह रख लिया है। मुझे भविष्य में सारी कुमारी के नाम से ही जाना पहचाना जावें।

मैं, अशोक आचार्य father of Army No. 15159865L Hav (GNR) ताराशंकर आचार्य निवासी VPO- अडगोल जिला ईस्ट मेदिनीपुर (W.B.) मेरे बेटे के सर्विस डॉक्यूमेंट में मेरा नाम अशोक कुमार आचार्य और D.O.B. 01.07.1957 गलत दर्ज है। मेरे डॉक्यूमेंट्स आधार/PAN कार्ड में मेरा सही नाम अशोक आचार्य और D.O.B. 05.03.1960 है।

मैं, आरती आचार्य mother of Army No. 15159865L Hav (GNR) ताराशंकर आचार्य निवासी VPO- अडगोल जिला ईस्ट मेदिनीपुर (W.B.) मेरे बेटे के सर्विस डॉक्यूमेंट में मेरा नाम आरोति आचार्य और D.O.B. 01.07.1962 गलत दर्ज है। मेरे डॉक्यूमेंट्स आधार/PAN कार्ड में मेरा सही नाम आरति आचार्य और D.O.B. 25.02.1966 है।

खोया पाया

मेरे आवास संख्या 21/201 काबेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर के मूल दस्तावेज नियमितिकरण अदेय प्रमाण पत्र अलोटमेंट लैटर, अप्लिकेंट कॉपी, जाहिर आम सूचना, कार्यालय आदेश, अखबार विज्ञप्ति गुम हो गये है जो कि आवासन मण्डल द्वारा जीनत निशा के नाम से जारी है कृपया मिलने पर सूचित करें- 9928539241

गणपति शिक्षा समिति के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, स्कूल समिति और विधान भी मूल प्रति 1.12.2025 को खोह नागोरियान में गुम हो गई है मिलने पर सूचित करें-8560042819

MUNICIPAL CORPORATION JAIPUR
(Pandit Deendayal Uppadhyay Bhawan Laikothi Tonk Jaipur 302015)
No. F-6(i)DCR-FIRST (J.S)RO.LIC/N.N.J/2025/726 Date : 08-12-2025

PUBLIC NOTICE

The licensee M/s/ Indus Tower Limited Jaipur (Particulars of Licensee) has submitted application in this office for granting permission for erection/ installation of telecom tower aboveground telegraph infrastructure on the land or building or location mentioned below :-

Sr. No.	Site ID	Address
1	IN 3399132	Row Outside Shaheed Major Alok Mathur Park, Krishna Nagar, Ward No.-36, Jhotwara Jaipur

Therefore, it is hereby informed to all concerned that if, any body has any objection or suggestion on granting permission for installation or establishment of above mentioned telecom infrastructure on the land/location above, he may submit objection or suggestion along with supporting documents before the undersigned during office hours on any working day within 7 days of the publication of this notice.

In absence of any objection/ suggestion within above stipulated time it any be deemed that nobody has objection/suggestion and matter will be disposed off accordingly.

Deputy Commissioner (Revenue-I)
Municipal Corporation, Jaipur

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/979 चूंकि प्रार्थी श्री JITENDRA SHARMA PLOT NO. 28 SHUBHAM VIHAR 4TH SIRSI ROAD, BINDAYAKA JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत श्री बांके विहारी फाउण्डेशन PLOT NO. 28 SHUBHAM VIHAR 4TH SIRSI ROAD, BINDAYAKA JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पूदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 12.02.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय...उपखण्ड अधिकारी...स्थान...किशनगढ़ रेनवाल ...मंगलचन्द...विरूद्ध...देवीसिंह वगै.
वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
वाद संख्या 81/2024, प्रार्थना पत्र संख्या 84/2024

नाम मंजू कंवर पत्नी स्व. देवीसिंह, दीपेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र स्व. देवी सिंह, गोविन्द सिंह पुत्र स्व. देवी सिंह समस्त जाति दरोगा निवासी रेनवाल तहसील कि. रेनवाल जिला जयपुर राज. रतन सिंह पुत्र स्व. प्रभुसिंह, नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. प्रभु सिंह, दौलत कंवर पुत्री स्व. प्रभु सिंह समस्त जाति दारोगा निवासी रेनवाल तहसील कि. रेनवाल जिला जयपुर राज. विरूद्ध...के लिये वाद/अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 10.12.2025 को दिन मे 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नो का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति मे है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज़ पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करे।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति मे किया जायेगा।

यह वाद ता. 04 माह 12 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत
आज्ञा से-रीडर
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़, रेनवाल, जिला जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/909 चूंकि प्रार्थी श्री KANHAIYA LAL BISSA, 124/104 SAI SARNAM ROHINI NAGAR JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत एच ए बी के पी डी सीनियर हेयन ट्रस्ट FLAT NO. 104 PLOT NO. 124 ROHINI NAGAR, JAGATPURA JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पूदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 02.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 11.02.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस, समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को (नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर 561/2025

चूंकि श्री राजेश जयपुरिया पुत्र श्री हंसराज जयपुरिया निवासी बी - 9, शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत सेठ हंसराज जयपुरिया मेमोरियल ट्रस्ट कार्यालय पता- बी-9, शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

**अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक